RAJYA SABHA

Friday, the 23rd November, 2007/2 Agrahayana, 1929 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

गेहूं का आयात

*121. **श्री मोती लाल वोरा:†**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 में विदेशों से कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया;

(ख) ऐसी शिकायतें किन-किन प्रदेशों से प्राप्त हुईं कि विदेशों से आयात किया गया गेहूं खाने योग्य नहीं है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन शिकायतों की जांच करवाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जांच किए गए नमूनों से यह पता चला है कि विदेशों से आयातित गेहूं मनुष्यों के खाने योग्य नहीं है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) वर्ष 2006-07 में प्राइवेट और सरकारी खातों पर देश में 60,79,555 टन गेहूं का आयात किया गया।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र राज्य से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि गोदामों/उचित दर दुकानों से लिए गए और परीक्षण किए कुछ नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों को पूरा नहीं करते हैं। राज्य सरकार से शिकायतें प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से संयुक्त रुप से नमूने लिए गए थे। इन नमूनों का परीक्षण कराया गया था और ये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम मानकों के अनुरूप पाए गए थे। महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी गई है कि वह राज्य सरकार के गोदामों और उचित दर दुकानों में आयातित गेहूं के मौजूदा स्टॉक की गुणवत्ता के लिए जांच करवाएं और सुनिश्चित करें कि उचित दर दुकानों के जरिए केवल निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुरूप गेहूं ही जारी किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न जारी करने से पहले भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उचित दर दुकानों के जरिये वितरण करने के लिए केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी किए जाएं। इसके अलावा सरकार ने सभी राज्य खाद्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी है कि ढुलाई और भंडारण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं कि जब तक राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्नों का वितरण नहीं होता है तब तक इनकी गुणवत्ता में कोई गिरावट न आए। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि राज्य सरकार की एजेंसियां और उचित दर दुकानों के पास उपलब्ध स्टॉक का यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए कि केवल गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्नों का राशन कार्ड धारकों को वितरण किया जाए।

---

† सभा में यह प्रश्न श्री मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया।

Import of Wheat

†*121. SHRI MOTILAL VORA:††
SHRI SATYAVRAT CHATURVEDI:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the quantity of wheat imported from foreign countries in the year 2006-07;

(b) the names of States from which complaints have been received that wheat imported from foreign countries is not fit for consumption;

(c) whether Central Government has got these complaints investigated and if so, the details thereof; and

(d) whether it is a fact that the wheat imported from foreign countries has not been found fit for human consumption as per the samples tested by Maharashtra Government?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) In the year 2006-07, 60,79,555 tons of wheat was imported into the country on private and Government accounts.

(b) to (d) Complaints have been received from Maharashtra State that some samples drawn and tested from godowns/Fair Price Shops were not found meeting PFA Standards. After receipt of complaints from the State Government, samples were jointly drawn from FCI godowns by State Government and FCI Officials. The samples were got tested and found to be conforming to PFA Standards. The Government of Maharashtra has been advised to get the existing stock of imported wheat in State Government godowns and Fair Price Shops examined for quality and to ensure that only wheat conforming to specified quality standards are issued through Fair Price Shops. Under the Public Distribution System (Control) Order, 2001, before the foodgrains are issued from FCI godowns, joint sampling is to be done by FCI and State Government Officials to ensure that only good quality foodgrains are issued for distribution through the Fair Price Shops. Further, the Government have also advised all State Food Secretaries to ensure that during transportation and storage all precautions are taken to ensure that there is no deterioration in the quality of foodgrains till they are distributed to the ration card holders. State Governments have also been advised that stocks available with State Government Agencies and Fair Price Shops should be regularly inspected to ensure that only foodgrains conforming to the quality specifications are distributed to ration card holders.

MR. CHAIRMAN: I congratulate the House for an excellent debate yesterday. Q. No. 121.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं, लेकिन उनसे एक बात की जानकारी चाहता हूं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके जो नियंत्रण आदेश सन् 2000 के हैं, उसमें इस बात का उल्लेख है कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी गोदामों में जाकर नमूनों का परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही वह खाद्यान्न सस्ते अनाज की दुकानों पर दिया जाएगा। आपने इसके अधिनियम 2001

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Motilal Vora.

में इसको वर्णित किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्योंकि महाराष्ट्र उनका अपना प्रदेश है और महाराष्ट्र प्रदेश में जो खाद्यान्न सस्ते मूल्य के अनाज की दुकानों में पाया गया, वह मापदंड से नीचे का था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन अधिकारियों ने, खाद्य निगम के और राज्य सरकार के अधिकारियों ने, क्या उसका नमूना गोदामों से पहले लिया था? यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री शरद पवार: महोदय, इसके डिस्ट्रिब्यूशन का जो सिस्टम है, उसमें दो हिस्से हैं। पहली बात यह है कि जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किसी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी को एक्चुअली एलोकेशन करते हैं, तब एलोकेशन करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रिजेंटेटिव और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रिप्रिजेंटेटिव, दोनों मिल कर 'इसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं', यह देखते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि से लिखित रूप में लेते हैं कि 'इसकी कैटेगरि और क्वालिटी ठीक थी या नहीं'। उनके 'ठीक है' यह लिख कर देने के बाद ही एक्चुअली डिस्बर्समेंट होता है।

जहां तक महाराष्ट्र का केस है, जब स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेशन किया गया तब तक कोई शिकायत नहीं थी। एलोकेशन करने के बाद इसका पजेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, तब स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से यह फेयर प्राइस शॉप्स में जाता है। फेयर प्राइस शॉप में कुछ शिकायतें जरूर आई हैं और वहां के सैम्पल्स में भी कुछ कमियां जरूर आई हैं, मगर यह शिकायत आने के बाद जब फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उसी गोडाउन में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रिजेंटिव को साथ लेकर फिर से सैम्पल लिए और फिर से टेस्ट किया, तो इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सन् 2006 और 2007 में प्राइवेट और सरकारी खातों से देश में 60 लाख 79 हजार 555 टन गेहूं का आयात किया गया। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आयातित गेहूं था वह किन-किन राज्यों में भेजा गया और क्या वहां पर उनको इस प्रकार की कोई शिकायतें मिलीं?

श्री शरद पवार: महोदय, जो आयातित गेहूं था, वह 2006-07 और 2007-08 में महाराष्ट्र में 13 लाख 97 हजार 626 टन एलॉट किया गया, एक्चुअली इश्यू किया गया। गुजरात में 8 लाख 24 हजार 573 टन एलोकेशन किया गया। गुजरात सरकार की तरफ से एक भी शिकायत हमारे पास नहीं है। राजस्थान में 3 लाख 91 हजार 346 टन एक्चुअली इशू किया गया। राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे पास एक चिट्ठी आई थी...। जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि आम लोगों का प्रिफरेंस डॉमेस्टिक राइस को है, विदेशी राइस को उनका प्रिफरेंस नहीं है। सर, मध्य प्रदेश में 10 लाख 50 हजार 230 लाख टन एक्च्युली एलोकेशन किया गया, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, मगर सांसद सुमित्रा महाजन की तरफ से एक शिकायत मेरे पास जरूर आई थी। उनका भी यही कहना था कि क्वालिटी के बारे में लोगों के मन में आशंका है। छत्तीसगढ़ को 38 हजार 324 टन दिया गया और कोई शिकायत नहीं आई। झारखंड को 50 हजार 229 टन दिया गया और कोई शिकायत नहीं आई। बिहार को 62 हजार 671 टन दिया गया और कोई शिकायत नहीं आई, वेस्ट बंगाल को 5 लाख 9 हजार 216 टन दिया गया और कोई शिकायत नहीं आई। यही स्थिति उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की है। केरल में वहां की सरकार की तरफ से एक सुझाव जरूर आया कि इम्पोर्टेड हमें 50 प्रतिशत दे दो और डॉमेस्टिक 50 प्रतिशत दे दो। सर, इतने बड़े पैमाने पर 54 लाख टन देश के विभिन्न राज्यों को एलोकेट करने के बाद, आम लोगों को इश्यू करने के बाद, शिकायतें सिर्फ महाराष्ट्र के कुछ एरियाज से आई हैं, बाकी राज्यों से क्वालिटी के बारे में नहीं, मगर लोगों के प्रिफरेंस के बारे में सुझाव जरूर आए हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने जो लिखित और मौखिक उत्तर दिया, उस में उन्होंने एक बात तो स्वीकार की है कि शिकायतें महाराष्ट्र से मिली हैं और कुछ अन्य राज्यों ने आयातित गेहूं की अपेक्षा, देशी गेहूं जो हमारे देश में पैदा होता है, उस गेहूं की मांग की है कि वह हमको दिया जाए। महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीब लोगों को देने के लिए हमने जो आयातित गेहूं भेजा था, उस गेहूं में न सिर्फ मिलावट की शिकायत आई है बल्कि इस बात की भी व्यापक रूप से शिकायतें विभिन्न प्रदेशों से मिली हैं कि सरकारी दुकानों से यह गेहूं, गरीब आदमियों को मिलने की बजाए गोदामों के स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत से सीधे-सीधे काला बाजारियों यानी ब्लैकमार्केट में बेच दिया जाता है और जो इसके बेनेफिसरीज हैं या जिन गरीब लागों को यह गेहूं मिलना चाहिए, उनको यह गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये दोनों तरह की शिकायतें हैं। महोदय, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह

क्वालिटी कंट्रोल भी करे और वितरण की व्यवस्था भी देखे, लेकिन केन्द्र सरकार की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि वह जितना कोटा राज्य सरकारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वितरण के लिए भेजती है, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी उनका कोई नियंत्रण हो या मॉनीटरिंग हो? इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर के क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त मात्रा में और अच्छे किस्म का गेहूं जो हम बाहर से मंगा रहे हैं या देश से भेज रहे हैं, वह हितग्राहियों तक पहुंच सके? माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें कि इस के लिए सरकार क्या करने जा रही है?

SHRI SHARAD PAWAR: Thank you. It is a very good question. मैंने शुरु में भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी अलग-अलग है। जहां तक भारत सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को एक्चुअली, एलोकेशन किया जाता है, वह एलोकेशन करने के बाद एफ०सी०आई० के गोदामों के बाहर माल निकलने के बाद वहां किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्ड-होल्डर्स को माल जाता है या नहीं, इसमें कोई डाइवर्सन होता है या और कुछ ब्लैक मार्केट में जाता है, यह पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सर, हमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों से कहीं डाइवर्सन हुआ, ऐसी शिकायत देश में कहीं से भी नहीं मिली है। मगर यह बात सच है कि भारत सरकार ने दो एजेंसियों से मदद ली थी - एक तो ओ०एन०जी० मार्क और दूसरी independent organisation है, इस की मदद भारत सरकार की तरफ से ली गयी थी। यह तो माननीय सदस्य जानते हैं क्यों इलेक्शन के समय उनको बहुत कुछ जानकारी रहती है। सभी राज्यों का सर्वे करने का काम उन को दिया था। इसके साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन ने एक छोटा ग्रुप एपायंट किया था और इस ग्रुप को भी प्लानिंग कमीशन ने यही काम अलग तरह से देखने के लिए दिया था। जब इन दोनों की रिपोर्ट आईं, तो उससे कई गंभीर बातें देश के सामने, सरकार के सामने जरूर आ गईं। उसके अनुसार कई राज्यों में डायवर्सन बहुत होता है, यह बात साफ हो गई और खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में जहां तक व्हीट एलोकेशन किया जाता है, इसमें सबस्टेंसियल डायवर्ट होता है, इस तरह की एक स्थिति हमारे सामने जरूर आई और कई अलग-अलग राज्यों में कहीं 30 परसेंट, कहीं 20 परसेंट, कहीं 10 परसेंट, कहीं 40 परसेंट, कहीं 50 परसेंट तक व्हीट का डायवर्सन होता है, यह बात भी सामने आई है। ये सब बातें सामने आने के बाद सभी राज्य सरकारों को इसकी एक इंटीमेशन दी गई और मैंने खुद हर स्टेट के लोगों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों या सिविल सप्लाई मिनिस्टर हों, उसके साथ हर रीजन में जाकर मीटिंग ली और उनके सामने यह बात लाई है। हर राज्य सरकार ने इसको स्वीकार किया है और कई राज्य सरकारों का कहना है कि जो रिपोर्ट आई है, वह ठीक बेसिस पर नहीं आई है। राज्य सरकारों के ऐसा कहने के बाद प्लानिंग कमीशन का जो ग्रुप एपायंट किया गया, उन्होंने ज्यादा गहराई से इसमें देखने का काम किया है। इसमें एक बात साफ हो गई है कि डायवर्सन दो किस्म का है, एक तो माल ले जाकर बाहर ही बेचना और दूसरा, समझो कि जो बीपीएल कैटेगरी के लिए एलोकेशन किया है, उसमें उन्होंने बीपीएल कैटेगरी का एलोकेशन कम किया। Suppose we have given them 35 kg. per family. Instead of 35 kg. they have given only 20 kg. and they have given this 20 kg. only to the APL category. This has happened in Tamil Nadu and this has happened in some other States also. तो यह स्थिति बनी है। अब अगर डायवर्सन है, तो वह डायवर्सन विदइन कैटेगरी ऐसा डायवर्सन है, कोई बाहर जाकर माल बाजार में नहीं बेचा गया। इस तरह की रिपोर्ट आई है। यह सब देखने के बाद हमने 16 पाइंट् प्रोग्राम तैयार किया और हर राज्य को इस बारे में सूचना दी, हर राज्य को हमने, मेरे लेवल पर मिनिस्टर्स की मीटिंग लेकर सख्ती से इस पर अमल करने के बारे में उनको सूचना दी और रेगूलर बेसिस पर हम इसका रिव्यू लेते हैं।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that the Government after specifying certain standards have relaxed certain specifications for the wheat imported from Australia and other places because there were widespread reports in the media in various parts of the country.

Two, with regard to Maharashtra, the Human Rights Commission has gone into the issue and has said that this supplied material, food, is not fit for human consumption. Many samples were drawn and a *panchanama* was conducted and it was concluded that it was not fit for human consumption. What is the action taken; what is the quantum of it; how serious is the problem; and what are the steps taken by the hon. Minister in this regard?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, I have already said that in Maharashtra the total allocation was 13,97,000 tonnes. Complaints came from Bombay-Thane area and there is a district called Sindhudurg. Out of written complaints which we got, there are two types of complaints. One, a few individuals have collected some information from some shops. They claim, 'from some shops.' Whatever material they collected was not collected from the godowns of the Food Corporation of India; that has been collected from other shops. There were some statements from shopkeepers also that that particular wheat, which had been given to them, was not for Public Distribution System; that was for open market. And there was a delay because of certain steps which the State Government took for distribution. (*Interruptions*) It is a factual position. But still we have taken each and every item seriously. जहां तक ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात है, ह्यूमन राइट कमीशन ने अल्टीमेटली जो डिसीजन दे दिया, वह कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं दिया। मगर एक बात इनके सामने जरूर हमने कही थी कि इस बारे में ज्यादा स्टॉक इम्पोर्टिड व्हीट का महाराष्ट्र में देने के बाद इसकी रिएक्शन, थोड़ी बहुत लागों में जो नाराज़गी है, वह देखकर हम वहां का ऐलोकेशन अभी बंद करते हैं और यहां डोमेस्टिक या वाइट व्हीट जो देते हैं, वह देने के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह ईशू क्लोज़ कर दिया है।

जहां तक आस्ट्रेलिया की बात कही गई, एक बात मुझे साफ कहनी है कि यह जो सब प्रॉब्लम आयी है रेड व्हीट की, इसमें आस्ट्रेलिया का व्हीट नहीं है। दुनिया में भारत, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में, जिस तरह का भारत में व्हीट पैदा होता है, वहां भी उसी तरह का व्हीट पैदा होता है, बाकी अन्य देशों में रेड व्हीट तैयार होता है। पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया में पिछले दो साल से सूखा था, इसलिए वहां एक्सपोर्ट करने के लिए सरप्लस मेटीरियल नहीं था। जो इम्पोर्ट किया गया वह mainly Russia, Ukraine, Kazakhsthan and other eastern European countries से किया गया। जहां तक इसके नॉर्म्स का सवाल है, इस देश में प्रिक्योरमेंट के लिए देश के अपने किसानों के लिए जो नॉर्म्स हैं, वे नॉर्म्स इम्पोर्टिड मेटीरियल के लिए भी दिए गए थे। यह बात भी सच है कि मेरे सामने एक रिक्वेस्ट आई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट की कि आप यह डाइल्यूट करिए, उन्होंने जो सुझाव दिया था, उसको भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और इसीलिए अमेरिका के पास स्टॉक ज्यादा होने के बावजूद, वह भारत में एक्सपोर्ट नहीं कर सका। अब इस बारे में हमने कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया।

श्री राजनीति प्रसाद: सभापति जी, मेरा प्रश्न है कि जो माल फॉरेन से आता है, जिसके बारे में कहा गया कि महाराष्ट्र से शिकायत आई और अन्य राज्यों से भी कुछ तो जरूर शिकायत आई होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माल आने से पहले कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसका सैम्पल हम लोग मंगाते हैं, देखते हैं कि यही माल वहां से सप्लाई होगा? क्या रद्दी माल जब यहां आ जाता है, तब हम लोग उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि रद्दी माल आ गया, पहले हम लोग उसकी जांच नहीं करते? क्या ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग पहले सैम्पल मंगाकर देखें और फिर वही माल यहां पर आए?

श्री शरद पवार: जब विदेश से माल आता है, तो उसको किस तरह से स्वीकार करना है, इसकी गाइडलाइंस हैं। जब जहाज आता है, उस जहाज के आने के बाद, जिस जहाज से हम फूड ग्रेन इम्पोर्ट करते हैं, उस जहाज को वे अपने पोर्ट में भी पार्किंग के लिए अलाऊ नहीं करते हैं। उसे समुद्र में एक-दो किलोमीटर अंदर, अपने पोर्ट से दूर रखने की इजाजत दी जाती है। वहां हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग जाते हैं, उसके सैम्पल लेते हैं, दूसरी लैबोरेट्री में भेजते हैं और जो नेशनल गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक यदि उसको क्लीअरेंस मिलती है, तब ही वह माल स्वीकार करते हैं।

दूसरे, प्लान प्रोटेक्शन अथॉरिटी की आज जो मशीनरी अपने देश में है, इनके माध्यम से भी इसमें इंस्पेक्शन होती है। इन दोनों की क्लीअरेंस मिलने के बाद ही उस जहाज को अपने पोर्ट पर आने की इजाज़त मिलती है और फिर वह अनलोड होता है। यह प्रिकाशन हर जहाज में ली जाती है।

एक बात ऐसी है कि एक रशियन जहाज आया था, मगर इन दोनों नॉर्म्स के अनुसार वहां का गेहूं नहीं था, इसलिए उसको वापिस भेज दिया, उसको स्वीकार नहीं किया गया।

श्री अमर सिंह: सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों से सरकार हमारे किसानों को दिए जा रहे गेहूं के दाम से दोगुने दाम पर विदेशों से गेहूं आयात कर रही है? यदि ऐसा है तो इसका विवरण क्या और क्या ऐसा करने से हमारे किसानों में रोष है? यदि हां, तो किसानों को उनके गेहूं का उचित दाम मिले, इस संबंध में किसान प्रेमी कृषि मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री शरद पवार: मान्यवर, गेहूं के लिए इस देश में मिनिमम सपोट प्राइस भारत सरकार तय करती है। UPA की गवर्नमेंट आने के बाद तीन साल में 370 रुपए की राइज़ गेहूं के लिए किसानों को दी गई है। इससे पहले पांच सालों में पचास रुपए दी गई थी और इसलिए यह सरकार किसानों को ज्यादा कीमत देने के टोटल पक्ष में है और जो कम कीमत शुरू में दी गई इसका असर ओवर ऑल प्रोडक्शन पर हुआ है वह प्रोडक्शन नीचे आया था। भारत सरकार द्वारा इसकी कीमत में वृद्धि करने के बाद इस साल 74.76 lakh tonnes is a record production which the Indian farmer has produced. इससे पहले इतना बड़ा प्रोडक्शन कभी हुआ नहीं था, यह हुआ है और यह अच्छी कीमत देने का असर इस प्रकार हुआ है। मगर यह बात सच है, मान्यवर जो कहते हैं कि विदेश से जो लाया गया उसकी कीमत यहां के किसानों को दी गई कीमत से ज्यादा है। पहले जो इम्पोर्ट किया गया, विदेश से जो लाया गया उसकी कीमत उन्हें ज्यादा दी गई तथा भारत में किसानों को जो कीमत दी गई उससे कम कीमत दी गई, लेकिन पिछले आठ महीने में इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ऊपर गई है इसलिए ज्यादा कीमत देनी पड़ी, यह बात सच है, मगर यह लिमिटेड पार्टी को दी गई। ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: सर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ...(व्यवधान)... प्रश्न यह है कि देश के किसानों को कम कीमत और विदेशी कंपनियों को ज्यादा कीमत क्यों दी जा रही है? यह यहां के किसानों के साथ नाइंसाफी है हमारे देश के किसानों को दी जा रही कीमत से दो गुनी कीमत विदेशी कंपनियों को दी जा रही है, यह हमारे देश के किसानों के साथ सरासर नाइंसाफी है ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I would request the hon. Members to allow the Question Hour to proceed. We have a rule about supplementaries. I am following that.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The rule is to facilitate the discussion, not to obstruct the discussion ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, इस पर आधे घंटे का डिसकशन होना चाहिए ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: We can have a discussion if you wish. We will agree to it. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद पवार: महोदय, इसमें दो बातें है कि हमने पहले जो substantial quantity इम्पोर्ट की थी उसकी जो कीमत दी थी, इससे ज्यादा नहीं है, मगर यह बाच सच है कि पिछले छः-सात महीने में इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ऊपर जाने के बाद उस गैप को भरने के लिए आज जो हमें कीमत देनी पड़ी वह यहां के किसानों को दी कीमत से ज्यादा है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री अमर सिंह: महोदय, यह यहां के किसानों को दी गई कीमत से दो गुनी है, यह दोगुनी है या नहीं? ...(व्यवधान)...

SHRI SHARAD PAWAR: What the hon. Member, ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: महोदय, कितना ज्यादा है? What is the price? ...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: महोदय, हमें इसका उत्तर चाहिए, क्योंकि हमारे देश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ...(व्यवधान)...

महोदय, गलत जवाब दे रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Raise a query about the question, but there is a procedure for it. ...*(Interruptions)*... Q. No. 122. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, if you have a question ...*(Interruptions)*... Please listen to the Chair ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: The Indian farmer is not getting remunerative price ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, it is a matter of public interest. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: If the hon. Members have a question about the veracity of the answer, they are free to raise that question. There is a procedrue for it. Please allow the Qeustion Hour to proceed ...*(Interruptions)*...

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, वह हमेशा गलत बात करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: महोदय, विदेशियों को दोगुनी कीमत दी जा रही है और ...**(व्यवधान)**...

श्री एम॰ वेंकैया नायडु: महोदय, ज्यादा मायने क्या है? ...**(व्यवधान)**...

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं निवेदनपूर्वक कह रहा हूं कि आपका रुख हमें प्रोटेक्ट करने का होना चाहिए, लेकिन आपके रुख से मिनिस्टर प्रोटेक्ट हो रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please. If any hon. Member is dissatisfied with the answer or the veracity of the answer, there is a procedure for going about it. Here, the question was asked, and an answer has been given. Now, if they answer given is not ...*(Interruptions)*...

SHRI AMAR SINGH: Sir, the answer is not given ...*(Interruptions)*... It is the Chair who has to protect us. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, you have to protect us. ...*(Interruptions)*... As Chairman, you have to protect us. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, there are several aspects of the question ...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: भारतीय किसान की क्या मजबूरी है? भारतीय किसान का क्या अपराध है? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: There is a procedure for going about that. ...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: आत्महत्या कर रहे हैं किसान! ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Will you please listen to the Chair? ...*(Interruptions)*... Please listen to the Chair, ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, they are committing suicide. ...*(Interruptions)*... More than one lakh people have committed suicide. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: सर, आपको हमें protect करना चाहिए।

श्री सभापति: आप ज़रा मेरी बात सुनेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव: बात बस इतनी सी है कि कितने दाम ज्यादा पड़ गए हैं यहां के किसानों को? ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आप ज़रा मेरी बात सुन लें। ...**(व्यवधान)**... देखिए, यह सवाल बहुत सीरियस सवाल है। अगर आप इस पर डिसकशन चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है, डिसकशन हो सकता है, मगर ...**(व्यवधान)**... प्लीज ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, ये गलत बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You raise a question of privilege if you think the veracity of the answer is in question, but ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मैं आपसे बहुत दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप सदन की भावनाओं को देखकर, सदन के लोगों की इच्छा को देखकर, प्रश्न की महत्ता को देखकर यह रूल 3 का, सब लोगों को बुलाने का और मंत्री ने उत्तर दे दिया, कृपा करके ...(**व्यवधान**)... इससे समाधान नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ये रूल्स आप सबके ही बनाए हुए हैं। मेरा काम रूल्स को apply करना है। ...(**व्यवधान**)...देखिए ...(**व्यवधान**)... Will you please allow the Question Hour to proceed? ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, हम लोग इस सदन में कई वर्षों से हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसकी परंपरा को नहीं जानते, लेकिन ऐसा नहीं है। ...(**व्यवधान**)... इन्हीं रूल्स के आधार पर बीस साल से काम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: If the House so wishes ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: ऐसे नहीं होता । ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: If the House so wishes that only one question will be discussed, let the House come to a decision. ...*(Interruptions)*...

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Sir, we want to have the answer right now. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN : Then there is no need to talk about the second question on ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please settle down. ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: आज लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह अन्न संकट का सवाल है। देश की तमाम चीज़ों का सवाल है, ऐसे नहीं चलेगा। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र शब्दों में अनुरोध है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, Indian farmers are not getting a remunerative price. ...*(Interruptions)*... They are committing suicide ...*(Interruptions)*... Sir, they are committing suicide. They are not getting a remunerative price. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please settle down ...*(Interruptions)*...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : हम आपका protection seek करते हैं।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... The hon. Minister wishes to say something. Please go ahead. ...*(Interruptions)*... Please go ahead.

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, a specific question was asked. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव : सर, एक मिनट ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : प्लीज़, सुन लीजिए।

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, a specific question was asked: What exactly is the price which we have paid for imported material? ...*(Interruptions)*...

श्री उदय प्रताप सिंह: दोगुना है या नहीं है?

SHRI SHARAD PAWAR: Listen to me. ...*(Interruptions)*... Why don't you hear me? When the Government of India fixed the minimum support price, the price fixed was Rs. 650/- per quintal for domestic farmers. At the same time, the international price was Rs. 740/-. So, we have fixed a price higher than the international price. यह बात सच है कि बाद

में इंटरनैशनल मार्केट ऊपर चला गया, इसलिए जो परचेज़ की गई, उसमें अलग-अलग कीमत देनी पड़ी। जो पहला टेंडर लिया था, that was on 2nd March, 2007. Actual rate जो हमें पड़ा, वह 199 डॉलर था ... (व्यवधान)...

SHRI PENUMALLI MADHU: Rs. 1,600/-. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD PAWAR: Listen to me. It was 199 dollars; in rupees, it was 8,822. **जो second आया, वह** Rs. 10,323 **था।** The third lot, Rs. 8,123/-. the fourth lot, Rs. 8,676/-; In this year, 2007-08, the first lot came for Rs. 13,393/-. The second lot came for Rs. 15,322/-. ...(*Interruptions*)... The third lot came for Rs. 12,970/-. ...(*Interruptions*)... The fourth lot came for Rs. 10,970/-. ...(*Interruptions*)... The fifth lot came for Rs. 12,760/-. The sixth lot came for Rs. 12,560/-. Like that, in every lot it was different because ultimately, the price is decided from Chicago market on a daily basis, and whenever our tender goes, or when MMTC or STC goes to the market, we invite them... ...(*Interruptions*)...

श्री विनय कटियार : यानी देश के किसानों को मारा जा रहा है।...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: कोई मारा नहीं जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विनय कटियार: वहां से यहां तक आने में कितना रुपया पड़ रहा है ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: एक सिम्पल बात है। ...(**व्यवधान**)... आपको यही बता रहा हूं ...(**व्यवधान**)....

श्री विनय कटियार : वहां से आकर यहां इतना क्यों पड़ रहा है? ...(**व्यवधान**)... वहां के किसानों को आप दोगुना पैसा दे रहे है। और देश के किसानों को कम पैसा दे रहे है। ...(**व्यवधान**)... उनके साथ विश्वासघात हो रहा है।

श्री शरद पवार: किसानों को किसने मारा, इस पर बहस करने की मेरी तैयारी है। पांच साल हुकूमत में रहने के बाद सिर्फ 50 रुपए ...(**व्यवधान**)...

श्री विनय कटियार : इस पर बहस होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उन्होंने मान लिया है, बहस होगी।

श्री शरद पवार: इन्होंने कितने किसानों का नुकसान किया ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Please listen to the answer. ...(*Interruptions*)...

श्री विनय कटियार: इस पर आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि इस पर बहस होनी चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद पवार: मैं बिल्कुल बहस के लिए तैयार हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This answer should have been given in the beginning. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: मंत्री जी ने बहस के लिए कह दिया है, उस पर आप बहस जरूर कीजिए। Let the question be over. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद पवार: यह मुझे मौका मिलेगा कि देश के सामने कहने के लिए कि कौन सी हुकूमत में किसानों को किस तरह का समर्थन दिया गया। I am ready for a discussion ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 122. ...(*Interruptions*)...

श्री रामदास अग्रवाल: सर, इस पर आधे घंटे की चर्चा एलाउ करा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री विनय कटियार: आप भी जानते हैं कि वह किसानों का मुद्दा है ...(**व्यवधान**)...

SHRI SHARAD PAWAR: I said, "Yes". ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: He has already agreed. वे उससे सहमत हैं। ...*(Interruptions)*... Question No. 122.

श्री विनय कटियार: इस खरीद के लिए विभाग विरोध कर रहा था, फिर भी खरीद की गई। ....**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. *(Interruptions)*... Please proceed. *(Interruptions)*... Will the hon. Member kindly allow the Question Hour to proceed? *(Interruptions)*... Please. Question No. 122.

पश्चिमी बंगाल में राशन के वितरण में अनियमितताएं

*122. **श्री श्रीगोपाल व्यास:††**
श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में राशन के वितरण में व्याप्त अनियमितताओं की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां पश्चिम बंगाल में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन की वस्तुओं के वितरण में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए कई मीडिया रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ये रिपोर्टें इनकी जांच करवाने, आवश्यक कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को भेजी गई हैं। राज्य सरकार से दो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार ने अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के कुछ कर्मचारियों सहित संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू किए जाने की सुचना दी है।

इस मुद्दे को राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। राज्य सरकार ने अपेक्षित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

Irregularities in distribution of ration in West Bengal

†*122. SHRI SHREEGOPAL VYAS:††
SHRI BALAVANT *ALIAS* BAL APTE:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the attention of Central Government has been drawn towards the irregularities in the distribution of ration in West Bengal;

---

†† सभा में यह प्रश्न श्री श्रीगोपाल व्यास द्वारा पूछा गया।

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Shreegopal Vyas.